न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 47 / 2024

श्री रतन लाल पुत्र श्री गंगाराम जाट, निवासी वजीरपुरा तहसील टोंक हाल निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 10.10..2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 412–413 दिनाक 15.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, टोंक जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांकः–न्याय/परिवाद/2023/15514–15 दिनांक 03.07.2023 उक्त परिवाद में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उपरोक्त परिवाद की पालना हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक टोंक व उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यालय हाजा में 7 दिवस में मांगी गई उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि व न्याय शाखा के पत्र क्रमांक 2934 दिनांक 27.06.2023 पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 1207 दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 2133 दिनांक 06.09.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि "प्रार्थी द्वारा उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट चाही गई थी जो अप्राप्त होने के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराया गया और पुनः स्मरण पत्र से तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु तहसीलदार टोंक एवं उप पुलिस अधीक्षक टोंक को निर्देशित किया गया है।" लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

को पत्र क्रमांक 1365 दिनांक 19.09.2024, 1410 दिनांक 26.09.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 11725 दिनांक 08.10.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तत्समय नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को लिखा जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी एवं एंव अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. पुलिस अधीक्षक, टोंक से संबंधित बिन्दुओं के प्रथम अपीलेट अधिकारी पुलिस अधीक्षक, टोंक है। अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक, टोंक के समक्ष प्रथम अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक